

विविधता - संप्रभुता - टिकाऊपन - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

किसान स्वराज सम्मेलन 2026

किसानों और खेती से जुड़े शुभचिंतकों का संगम

पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी भारत के लिए - 29-31 अक्टूबर 2026 (गुरुवार-शुक्रवार-शनिवार)

आयोजक: अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (ASHA-किसान स्वराज)

सहयोगी संस्थाएँ: ग्राम्या रिसोर्स सेंटर फॉर विमेन एवं पंचाल सुस्थये कृषि उद्योग समिति (PSKUS)

स्थान: साइंस सिटी, जेबीएस हल्दाने एवेन्यू, मिरानिया गार्डन्स, ईस्ट टॉपसिया, कोलकाता - 700046

पंजीकरण के लिए आमंत्रण! - <https://sammelan.kisanswaraj.in/East-NE-India2026>

अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (ASHA-किसान स्वराज) द्वारा ग्राम्या रिसोर्स सेंटर फॉर विमेन तथा पंचाल सुस्थये कृषि उद्योग समिति (PSKUS) के सहयोग से किसान स्वराज सम्मेलन (Kisan Swaraj Sammelan) के छठे संस्करण का आयोजन 29 से 31 अक्टूबर 2026 (गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार) को साइंस सिटी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश (पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र), मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश (पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र) से किसानों, कृषि संगठनों एवं अन्य इच्छुक प्रतिभागियों को पंजीकरण कर सम्मेलन में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

आशा-किसान स्वराज (www.kisanswaraj.in) एक अखिल भारतीय अनौपचारिक नागरिक एवं स्वयंसेवी मंच है, जो निम्नलिखित चार प्रमुख उद्देश्यों पर कार्य करता है

- कृषि में पर्यावरणीय सततता (Environmental Sustainability) सुनिश्चित करना।
- किसानों के लिए सम्मानजनक एवं टिकाऊ आय सुनिश्चित करना।
- प्राकृतिक संसाधनों पर किसानों एवं कृषि समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
- प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षित, पौष्टिक, विविधतापूर्ण एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो इस दिशा में कार्य करना।

किसान स्वराज सम्मेलन

आशा गठबंधन समय-समय पर किसान स्वराज सम्मेलन आयोजित करता रहा है, ताकि हम सब मिलकर खेती और गांवों के सामने खड़ी जटिल चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकें और आपसी रिश्तों को मज़बूत कर सकें, ताकि अलग-अलग मोर्चों पर काम करते हुए भी हमारी सोच और काम में तालमेल बना रहे। ये सम्मेलन नए लोगों, नए विचारों, विश्लेषणों, ऊर्जा और योजनाओं को साथ लाने का मौका भी

होते हैं, ताकि मिल जुलकर भारत के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाया जा सके।

अब तक ऐसे सम्मेलन भोपाल (2013), हैदराबाद (2016), अहमदाबाद (2018) और मैसूर (2022) में आयोजित हो चुके हैं। आशा ने 2015 में चंडीगढ़ में एक जैविक किसान सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारत के ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन (OFAI) के साथ मिलकर भी काम किया था।

किसान स्वराज सम्मेलन का उद्देश्य प्राकृतिक एवं जैविक खेती के अग्रणी किसान एवं प्रयोगकर्ता, नागरिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, सामाजिक उद्यमी, लेखक-पत्रकार, कलाकार, सरकारी अधिकारि, जागरूक उपभोक्ता, चिकित्सकों एवं पोषण विशेषज्ञों सहित विविध हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना है। हमारे सम्मेलनों में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समता तथा पर्यावरणीय सततता – इन तीनों आयामों को समान महत्व दिया जाता है।

वर्ष 2026 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के स्थान पर देश के विभिन्न भागों में तीन क्षेत्रीय किसान स्वराज सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। यह आमंत्रण-पत्र पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी भारत क्षेत्र के सम्मेलन से संबंधित है।

पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी भारत के लिए हो रहे किसान स्वराज सम्मेलन 2026 में भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़े निम्नलिखित चार उभरते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा—

- **बीज स्वायत्तता:** वर्तमान में प्रस्तावित **बीज विधेयक 2025**, **पौध विविधता और किसान अधिकार संरक्षण (PPV&FR) अधिनियम 2001** में प्रस्तावित संशोधन और **अंतरराष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन संधि (ITPGRFA)** में प्रस्तावित बदलाव जैसे कदम हमारे किसानों/देश की बीज स्वायत्तता और उससे जुड़ी खाद्य स्वायत्तता को खतरे में डाल रहे हैं।
- **एचटी फसलें/खर-पतवार प्रबंधन:** भारत के बीज बाजार में अब 3 **गैर-GM खरपतवारनाशी सहनशील (हर्बिसाइड टॉलरेंट-HT) फसलें और जीनोम एडिटेड धान** की किस्में आ चुकी हैं, जिस के लिए कमजोर नियमन, बेईमान विज्ञान और अलोकतांत्रिक नीति निर्माण ज़िम्मेदार हैं। इससे प्राकृतिक/जैविक खेती की मूल भावना, मानकों और क्रियान्वयन पर गंभीर असर पड़ेगा साथ ही निंदा नाशकों का उपयोग बढ़ने से एवं कृषि में कॉर्पोरेट नियंत्रण अधिक मजबूत होने के कारण हमारी खाद्य प्रणाली खतरे में पड़ने की संभावना है। सम्मेलन में कीटनाशकों पर नियंत्रण तथा आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (GM) फसलों से संबंधित नियमन व्यवस्थाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
- **खेती में मजदूरी:** खेती में इंसानी और पशु-शक्ति से जुड़ा काम तेज़ी से बदल रहा है और इसके लिए ऐसे व्यावहारिक और नीतिगत उपायों की ज़रूरत है, जिनसे कृषि मजदूरों, किसानों, पर्यावरण और पशुओं-पक्षियों - सब का भला हो। मनरेगा (MGNREGA) के निरसन तथा VBGRAMG के लागू होने

के बाद यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

- **मानव-वन्यजीव टकराव:** जंगली जानवरों द्वारा किसानों की जान, फसल और पशुधन को नुकसान पहुँचाने की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे तनाव और हानि दोनों बढ़ रहे हैं, और इन के लिए भी नीतिगत और ज़मीनी - दोनों स्तर के हल निकालने की ज़रूरत है।

सम्मेलन में प्रत्येक विषय के विभिन्न आयामों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। चर्चा केवल समस्याओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके व्यावहारिक समाधान तथा भविष्य की दिशा पर भी विशेष बल दिया जाएगा। उपरोक्त चार प्रमुख विषयों के अतिरिक्त समानांतर सत्रों (Parallel Sessions) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर भी ज्ञानवर्धक चर्चा एवं संवाद आयोजित किए जाएंगे— मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements - विशेषकर Indo-US FTA), जीन संपादन (Gene Editing), महिला किसान एवं कृषि पारिस्थितिकी (Agro-ecology), जैविक एवं प्राकृतिक कृषि उत्पादों के बाज़ार और प्राणिकरण, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों (Commons) का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, कृषि में ऊर्जा से जुड़े विभिन्न मुद्दे इत्यादि। इसके अतिरिक्त, कोलकाता के शहरी उपभोक्ताओं को प्राकृतिक एवं जैविक कृषि से जोड़ने हेतु विशेष गतिविधियों एवं कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा।

सम्मेलन का प्रारूप

इस सम्मेलन में सभी सत्रों में शामिल होने वाले विशेषज्ञ, वक्ता, किसान एवं अन्य सहभागी मिलकर लगभग 500 प्रतिभागियों के सहभागी होने की अपेक्षा है। सम्मेलन में बीज विविधता महोत्सव एवं प्रदर्शनी, जैविक खान-पान, विभिन्न संबंधित विषयों पर विशेष प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि भी होंगे। समानांतर सत्र पूर्णतः संवादात्मक एवं सहभागितापूर्ण होंगे, जिनमें प्रतिभागियों के बीच खुली चर्चा, अनुभवों का आदान-प्रदान, पारस्परिक सीख, सहयोग, नेटवर्किंग तथा प्रचार के अवसर उपलब्ध होंगे। किसान स्वराज सम्मेलन हमारी खाद्य संप्रभुता का जश्न मनाने, अपनी समझ को और निखारने और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एकजुट होने का एक अनूठा अवसर है।

पिछले किसान स्वराज सम्मेलनों की झलक

- वर्ष 2018 में गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में आयोजित किसान स्वराज सम्मेलन के कार्यक्रम एवं चित्र यहाँ उपलब्ध हैं:

<https://tinyurl.com/KSS2018Schedule> एवं <https://photos.app.goo.gl/wP1WHJjU364msarK8>

- वर्ष 2026 में आयोजित अन्य दो क्षेत्रीय किसान स्वराज सम्मेलन - उत्तर एवं पश्चिम भारत (लोकनिकेतन, पालनपुर, गुजरात) एवं दक्षिण भारत (कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर) के कार्यक्रम एवं चित्र भी उपलब्ध हैं।

<https://photos.app.goo.gl/NKbmcKywS1HfdvWg6>;

<https://kisanswaraj.in/wp-content/uploads/KSS2026-Lokniketan-Schedule-English-01012026.pdf> एवं

<https://photos.app.goo.gl/D7rGzkgAFyHmn1Qd9>

सम्मेलन में सहभागिता केवल पूर्व पंजीकरण एवं निर्धारित पंजीकरण शुल्क के भुगतान के पश्चात ही संभव होगी। आशा एक स्वावलंबी जन-आंदोलन के निर्माण में विश्वास रखता है। अतः सभी प्रतिभागियों—चाहे वे संसाधन व्यक्ति (Resource Person), वक्ता, आयोजक अथवा अन्य सहभागी हों—सभी के लिए पंजीकरण शुल्क देना अनिवार्य है। पंजीकरण “पहले-आओ, पहले-पाओ” के आधार पर होगा। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि आशा किसी सरकारी सहायता, प्रोजेक्ट फंड, विदेशी फंड या कॉर्पोरेट समर्थन पर निर्भर नहीं है। आशा की यह परंपरा रही है कि उसके सभी किसान स्वराज सम्मेलन प्रतिभागियों के सहयोग से यथासंभव स्व-वित्तपोषित (Self-supported) हों। पंजीकरण शुल्क में निम्न सुविधाएँ सम्मिलित होंगी— सम्मेलन किट, अत्यंत सामान्य साझा आवास (साझा शौचालय सहित), सम्मेलन के दौरान सभी दिनों का जैविक भोजन, सभी मुख्य सत्रों में सहभागिता एवं समानांतर सत्रों में भागीदारी, बीज विविधता महोत्सव, प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं में सहभागिता इत्यादि। पंजीकरण शुल्क में प्रतिभागियों की सम्मेलन स्थल तक आने एवं वापस जाने की यात्रा का व्यय शामिल नहीं है। जो प्रतिभागी कोलकाता में अपने स्तर पर आवास की व्यवस्था करना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। किन्तु ऐसे प्रतिभागियों के लिए भी पंजीकरण शुल्क में कोई छूट नहीं होगी एवं आशा के द्वारा उनके लिए किसी प्रकार की स्थानीय दैनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस (Non-refundable) नहीं किया जाएगा।

पंजीकरण शुल्क:

श्रेणी		पंजीकरण शुल्क (₹)
1	श्रेणी पंजीकरण शुल्क (₹) वेतनभोगी एवं शहरी पेशेवर, शोधकर्ता, शिक्षाविद एवं सरकारी कर्मचारी	4000
2	नागरिक एवं सामाजिक संगठनों (CSOs/NGOs) के प्रतिनिधि	3000
3	ऐसे किसान जिनकी आय खेती के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी है तथा मीडिया प्रतिनिधि	2500
4	किसान संगठनों के प्रतिनिधि (किसान यूनियन, FPO पदाधिकारी आदि)	2000
5	ऐसे पुरुष किसान जिनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत खेती है	1500
6	विद्यार्थी	1000
7	महिला किसान	750
8	एक दिवसीय पंजीकरण* (आवास व्यवस्था नहीं रहेगी एवं केवल दोपहर के भोजन की व्यवस्था रहेगी)	500 प्रति दिन
9	आर्थिक रूप से असमर्थ वास्तविक जैविक/प्राकृतिक किसान	स्वयं उत्पादित 8 किलोग्राम खाद्यान्न

		अथवा 5 किलोग्राम दाल
--	--	----------------------

सभी प्रकार का रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए लिंक यहाँ है:

<https://sammelan.kisanswaraj.in/East-NE-India2026>

पंजीकरण करते समय प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक विवरण **पूर्ण एवं सही रूप से भरें**, ताकि आयोजकों द्वारा आवास एवं अन्य व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से की जा सकें।

पंजीकरण की अंतिम तिथि: - 30 सितम्बर 2026

यदि निर्धारित क्षमता अंतिम तिथि से पहले ही पूर्ण हो जाती है, तो आयोजकों को पंजीकरण समय से पहले बंद करने का अधिकार होगा। **पंजीकरण तभी पूर्ण माना जाएगा जब— पंजीकरण प्रपत्र पूरी तरह एवं सही जानकारी के साथ भरा गया हो, तथा निर्धारित पंजीकरण शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान किया गया हो।**

आवास सुविधा का समय: आयोजकों द्वारा प्रतिभागियों के लिए कोलकाता में तीन दिनों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था निम्न अवधि के लिए की जाएगी— **28 अक्टूबर 2026 की सायं 6:00 बजे से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के दोपहर 12:00 बजे तक** (सम्मेलन 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रहेगा)। सभी प्रतिभागियों को 31 अक्टूबर की सुबह अपने आवास स्थल से चेक-आउट करना होगा और अपना सामान साथ लेकर सम्मेलन स्थल पहुँचना होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में तथा आयोजकों की पूर्व स्वीकृति मिलने पर ही इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा। केवल किसानों के लिए रेलगाड़ियों के शेड्यूल के कारण सम्मेलन अवधि से पहले या बाद में अतिरिक्त आवास की आवश्यकता होने की स्थिति में, आयोजक द्वारा व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। हालाँकि इस स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर प्रतिभागियों को किसी अन्य स्थान पर ठहराया जा सकता है एवं कुछ परिस्थितियों में अतिरिक्त व्यय का स्वयं वहन करना पड़ सकता है। आयोजक किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसका पूरा प्रयास करेंगे, किन्तु इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। **महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग आवास की व्यवस्था की जाएगी। जो दम्पति साथ यात्रा कर रहे हों, उनसे अनुरोध है कि वे अपना सामान अलग-अलग पैक करके लाएँ।**

आयोजकों द्वारा **20 अक्टूबर 2026** से पूर्व सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को— सहभागिता की पुष्टि-पत्र (Confirmation Letter) अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं (Logistics) की जानकारी प्रेषित की जाएगी। **प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे पुष्टि-पत्र की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपनी यात्रा की टिकटें आरक्षित कर लें।**

सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी (Exhibition)

सम्मेलन में प्राकृतिक एवं जैविक किसान, किसान समूह, पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्थाएँ, निजी उद्यमी, तथा (अर्ध) सरकारी संस्थाओं के लिए कुछ प्रदर्शनी स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे, जहाँ पर वे अपने कार्य, परियोजनाएँ, जैविक कृषि उत्पाद, कृषि उपकरण, लघु प्रसंस्करण इकाई, पुस्तक, साहित्य एवं अन्य सूचना सामग्री का प्रदर्शन एवं विक्रय कर सकेंगे। प्रदर्शनी में— कृषि आदान सामग्री (Agri Inputs) का प्रदर्शन अथवा

विक्रय के लिए सामान्यतः अनुमति नहीं होगी। केवल उन्हीं जैविक आदान सामग्रियों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए अनुमति दी जा सकती है— यदि वे वास्तविक प्राकृतिक अथवा जैविक किसान अथवा छोटे किसान उत्पादक संगठन (FPOs) अथवा सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों द्वारा स्वयं उत्पादित हों। इसी प्रकार— किसी भी प्रकार के पशु-आधारित उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए सामान्यतः अनुमति नहीं होगी। केवल विशेष परिस्थितियों में, जब उनकी जैविक प्रामाणिकता पूर्णतः सत्यापित हो जाए, तभी आयोजक अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

अलग-अलग तरह के आयोजकों के लिए प्रति स्टॉल रजिस्ट्रेशन शुल्क:

श्रेणी		प्रदर्शन पंजीकरण शुल्क (₹)
1	निजी उद्यमी, अर्ध-सरकारी एवं सरकारी विभाग	15000
2	12A प्रमाणपत्र प्राप्त गैर-लाभकारी संस्थाएँ	12500
3	किसान समूह, FPO, किसान सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह आदि	7000
4	किसान हाट (ऐसे व्यक्तिगत प्राकृतिक/जैविक किसान जिनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत खेती है और जो स्वयं का उत्पाद बेचेंगे)	2700

Note: इच्छुक आवेदकों को निम्न ऑनलाइन आवेदन-पत्र के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी: <https://sammelan.kisanswaraj.in/East-NE-India2026>

ऊपर बताए गए शुल्क सिर्फ स्टॉल की जगह और स्टॉल संबंधित सुविधाओं के लिए हैं। सम्मेलन में तीन दिनों आवास और भोजन की सुविधा के लिए, प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वालों को किसी भी दूसरे प्रतिभागी की तरह अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

प्रत्येक आवेदन की समीक्षा एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी, जो निम्नलिखित बिंदुओं का परीक्षण करेगी - प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद किस प्रकार के हैं, उनके बारे में किए गए दावों की सत्यता, मूल्य निर्धारण, सम्मेलन के उद्देश्यों के अनुरूप उनकी उपयुक्तता इत्यादि। आवश्यकता पड़ने पर आवेदकों से अतिरिक्त जानकारी अथवा उत्पादों के नमूने भी माँगे जा सकते हैं। उत्पादों के ऑर्गेनिक होने की पुष्टि और सत्यापन से पहले, आवेदकों को एक अंडरटेकिंग (शपथ-पत्र) पर हस्ताक्षर करने होंगे। सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचना भेजी जाएगी। **स्क्रीनिंग समिति के द्वारा जिन आवेदकों के आवेदन मंजूर हो जाएंगे, उन्हें प्रदर्शनी का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए पेमेंट लिंक दिया जाएगा।** स्टॉल हेतु पंजीकरण शुल्क के भुगतान पश्चात एवं आयोजकों के द्वारा उसकी पुष्टि करने के बाद ही स्टॉल हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

आयोजकों को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे किसी भी समय, सम्मेलन के दौरान भी, आवश्यकता पड़ने पर, बिना कारण बताए किसी भी स्टॉल अथवा प्रदर्शनी स्थान का आवंटन निरस्त कर सकते हैं।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन सभी प्रतिभागियों के लिए अनिवार्य होगा— कैरी बैग के रूप में प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा (हालाँकि उत्पादों की मूल पैकेजिंग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा)। सम्मेलन एवं प्रदर्शन स्थल में फ्लेक्स बैनर (Flex Banners) तथा थर्मकोल (Thermocol) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सम्मेलन स्थल एवं आवास परिसर में कूड़ा फैलाना, पान अथवा तंबाकू थूकना पूर्णतः निषिद्ध होगा। प्रदर्शकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे थोक विक्रय (Bulk Vending) की व्यवस्था अपनाएँ तथा आवश्यकता पड़ने पर बिक्री के समय कागज़ के थैलों का उपयोग करें। सम्मेलन स्थल एवं आवास परिसर में— किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन, तथा मदिरा (Alcohol) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

यदि सम्मेलन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता की आवश्यकता हो, तो आप निम्न ईमेल आइडी पर लिख सकते हैं - kisanswarajsammelan2026@gmail.com या निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं —

झारखंड - संदीप कुमार (9955599443)

बिहार - सैफ (9304468443)

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा- मोनुहर (9101085599)

छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश- रोहित (9892019369)

ओडिशा - एकादशी नंदी (9437412411), सरोज मोहंती (8895157066)

पश्चिम बंगाल - डॉ. अनुपम पॉल (9432356490), भैरब सैनी (7384596494)